

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 13/16ए इ0दी0

संस्थापन दिनांक : 19.08.2015

1.भोगीराम प्रजापति पुत्र राजाराम आयु 52 साल जाति प्रजापति, निवासी ग्राम बांकेपुर हाल श्रीनगर कॉलोनी वार्ड नं0 23 मुरार, ग्वालियर

---वादी

बनाम

- 1.राजाराम पुत्र नाथूराम आयु 75 साल,
- 2.जगराम आयु 58 साल
- 3.मायाराम आयु 48 साल
- 4.नेतराम आयु 32 साल पुत्रगण राजाराम, समस्त जाति प्रजापति, निवासी ग्राम बांकेपुर हाल लक्ष्मण तलैया के पास मौ रोड गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
- 5.म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड

---प्रतिवादीगण

आदेश

(आज दिनांक..... को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा वादी भोगीराम व प्रतिवादी राजाराम, नेतराम, जगराम, मायाराम के राजीनामा आवेदन पत्र का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन पत्र के तथ्यानुसार विवादित विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के पुत्र हैं, का समान हिस्सा है जिस पर वह काबिज है और विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम दर्ज है। राजीनामा के अनुसार विवादित संपत्ति जोकि पैतृक संपत्ति है प्रतिवादी क्रमांक 1 जीवनपर्यंत विक्रय या स्थानान्तरित नहीं करेगा और वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 प्रतिवादी क्रमांक 1 की सेवा करेंगे और प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसकी मां के रोगग्रस्त होने पर वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 समान रूप से व्यय

वहन करेंगे। विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 समान रूप से खेती करेंगे।

3. वादपत्र के अभिवचन के अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 15 रकवा 0.490, 57 रकवा 0.280, 68 रकवा 0.030, 121 रकवा 0.330, 123 रकवा 0.880, 155 रकवा 0.150, 214 रकवा 0.180, 217 रकवा 0.380 है0 कुल किता 8 रकवा 2.720 मौजा बांकेपुर एवं भू-खसरा क्रमांक 642 रकवा 0.310 मौजा इटायली तहसील गोहद (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा) संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति है जिसमें वादी का सहदायिकी सदस्य होने से 1/5 भाग पर स्वत्व है और तदानुसार स्वत्व घोषणा अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना चाही थी जिसके जवाब में प्रतिवादीगण ने व्यक्त किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित संपत्ति है जिसमें वादी सहदायिक नहीं है और पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार वादी को अपने भाग की संपत्ति मिल चुकी है। वादी को ग्वालियर का मकान मिला है जिसे वादी ने छिपाया है और विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है।
4. उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छा से राजीनामा हुआ है राजीनामा लोकनीति के विरुद्ध नहीं है संलग्न राजस्व दस्तावेज खसरा व खतौनी वर्ष 2014-15 की प्रति के अनुसार विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 1 भूमिस्वामी उल्लिखित है। वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के जीवनकाल में स्वत्व घोषणा की प्रार्थना नहीं चाही गयी है। वादी और प्रतिवादीगण के संरक्षण हेतु और भविष्य में उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होने पर स्वत्व संरक्षण हेतु प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वयं को निषेधित होना व्यक्त किया है। उक्त करार शून्य नहीं है। अतः आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अधीन राजीनामा विधिक होने से स्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज़प्त किया जाता है।
 1. प्रतिवादी क्रमांक 1 को स्थायी रूप से व्यादेशित किया जाता है कि वह अपने जीवनकाल में विवादित संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।
 2. वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसकी मां के रोगोपचार का व्यय समान रूप से वहन करेंगे।
 3. वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 अपने-अपने हिस्से 1/5 भाग पर समान रूप से अधिपत्यधारी रहेंगे।
 4. उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।
 5. राजीनामा आवेदन डिक्री का अंग रहेगा।

तदानुसार आज़प्ति बनाई जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित

सही /—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही /—

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0